संख्या-37/2023/001-546-2370466-2023-12-5099-27-2022-पार्ट-1

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण 103-भूमि सुधार तथा विकास 09-पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/श0एंव वा0/पं0दीन0द0उ0कि0स0यो0-कार्य0यो0/06/2023-24, दिनांक 06.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण 103-भूमि सुधार तथा विकास 09-पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त की प्रस्तावित धनराशि रू0 5762.00 लाख (सत्तावन करोड़ बासठ लाख रूपया मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतने ही कार्यों का चयन किया जायेगा, जिनकी शत प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा सके तथा चयनित कार्यों के सापेक्ष पृथक से शासकीय देयता सृजित न हो।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
7. धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. आपके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
9. स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वी.कृति अलग से जारी की जायेगी।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं 08 नवम्बर, 2022 तथा 17 मार्च, 2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अद्यतन सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001030900 (पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	04 यात्रा व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
2	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	08 कार्यालय व्यय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	27 सब्सिडी	12,46,00,000 (रुपये बारह करोड़ छियालीस लाख मात्र)
6	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	42 अन्य व्यय	44,50,00,000 (रुपये चवालीस करोड़ पचास लाख मात्र)
7	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**57,62,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ बासठ लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महायोग	57,62,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ बासठ लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-37/2023/001-546-2370466-2023-12-5099-27-2022-Part-1, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. विषय वस्तु विशेषज्ञ(श0एवंवा0, कृषि निदेशालय, उ0प्र0।
11. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।